

कार्यालय-मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील/ध्वस्तीकरण हेतु आदेश)

पत्रांक : 3617/ वाद सं० आर-1538/एस-9/2025

दिनांक: 12/02/2026

श्री मनीशा थापा

बल्लुपुर निकट उत्तम वर्कशॉप

देहरादून।

आपके द्वारा उपरोक्त स्थल पर बिना स्वीकृत मानचित्र नहीं दिखाया भूतल एवं प्रथम तल पर कवड़ करते हुए निर्माण किया जा रहा है। अनाधिकृत निर्माण/प्लॉटिंग करने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं अन्तर्गत कारण बताओ एवं स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं० आर-1538/एस-9/2025 योजित किया गया था।

उपरोक्त वाद में दिनांक 16.12.2025 को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009, की धाराओं के अन्तर्गत आपको "कारण बताओ नोटिस" एवं निर्माण कार्य रोकने की सूचना प्रेषित की गयी।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि, आप द्वारा किये जा रहे उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 26.12.2025 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर विपक्षी अनुपस्थित रहे, जिसमें क्षेत्र अभियन्ता की आख्या के अनुसार उक्त वाद में विपक्षी द्वारा स्वीकृत मानचित्र से विचलन करते हुए निर्माण किया जा रहा है एवं प्रश्नगत पत्रावली में आतिथि तक कोई शमन मानचित्र प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि विपक्षी द्वारा निरन्तर अवैध निर्माण का कार्य किया जा रहा है। जिसमें लगातार शिकायते प्राप्त हो रही है। विपक्षी द्वारा जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि न्यायोचित नहीं है।

अतः चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण में सीलिंग की कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। इसी क्रम में आपके द्वारा किये गये चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण को सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

-आदेश-

श्री मनीशा थापा बल्लुपुर निकट उत्तम वर्कशॉप देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित पते/स्थल पर सैट बैक प्रभावित करतें हुए निर्माण कार्य किया जा रहा है। अनाधिकृत निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः चालानशुदा निर्माण को सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 12.2.26 को सील किया जाना है। आदेश की प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय। तदनुसार सूचित हो।

मनीशा थापा जी
को लिंग प्रात बिना

पीठासीन अधिकारी/संयुक्त सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।